न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/142/2018

प्रवेश तिथि 16.07.2018

अपीलार्थी — बनाम — **प्रत्यर्थी**

श्री शुभराम पुत्र रामचन्द्र
ग्राम व पोस्ट–कारोडा, तहसील–बहरोड (अलवर)

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 09.08.2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 12.06.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से तहसीलदार बहरोड के पत्रांक: 416 दिनांक: 15.03.18 के परिप्रेक्ष्य में हरे पेडों की फर्द जब्ती एवं की गई कार्यवाही संबंधी 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक: 12.06.2018 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांक: 13.07.2018 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2018/695–96 दिनांक 16.07.18 के माध्यम तलब कर दिनांक: 26.07.18 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांक: लोक सूचना/2018/646 दिनांक: 20.07.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया।
7. हमने प्रत्यर्थी विभाग से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांक: 12.06.2018 में वांछित सूचनाओं की आवश्यकता नहीं होने बाबत प्रत्यर्थी पक्ष को लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक: लोक सूचना/2018/635 दिनांक: 18.07.18 के माध्यम से उक्त आवेदन दिनांक: 12.06.18 को खारिज कर कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

8. उक्त लिखित अभिकथन की सत्यता की जाँच हेतु अपीलार्थी को न्यायालय पत्रांकः 695 दिनांकः 20.07.2018 एवं 726 दिनांकः 26.07.18 के माध्यम से पत्र जारी कर न्यायालय में उपस्थिति होने हेतु लिखा गया किन्तु अपीलार्थी फिर भी उपस्थित नहीं हुआ। इससे यह माना जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 12.05.2018 में वांछित सूचनाओं की आवश्यकता नहीं होने बाबत प्रत्यर्थी पक्ष को प्रस्तुत लिखित अभिकथन उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है एवं इसी कारण अपीलार्थी न्यायालय में सुनवाई हेतु भी उपस्थित नहीं हुआ।

9. अतः उक्त आलोक में प्रथम अपील [illegible] निस्तारित की जाती है।

10. आदेश की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे।

11. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)
ALWAR (RAJ.)

9/8/18

(ओ.पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)